दिनांक–15.04.2019 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में लोक सेवा प्रदायगी (Public Service Delivery) को बेहतर बनाने के संबंध में आयोजित विभागीय चिंतन शिविर/समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री राधे श्याम साह, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
3. डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
6. श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
7. डा0 आर०डी०रंजन, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।
8. श्री रवीन्द्र यादव, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
9. श्री विवेकानन्द ठाकुर, अवर सचिव (संविदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

कार्यवाही

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आयोजित चिंतन शिविर के प्रथम चरण में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. स्वास्थ्य विभाग का एक सेवा सिद्धांत (Service Motto) होना चाहिए, ताकि हेल्थ केयर सेवाओं की प्रदायगी को आमजन के लिए सरल बनाया जा सके।

2. विभाग में सिटीजन चार्टर शीघ्र बनाने का निर्णय लिया गया।

3. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हेल्प डेस्क होना चाहिए। हेल्प डेस्क को कार्यान्वित करने हेतु स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षणोपरान्त प्रतिनियुक्त किया जाये।

(अनुपालन–डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव एवं आई. टी. मैनेजर)

4. हेल्प डेस्क में सभी प्रकार के हेल्थ केयर सुविधा को Public Display करते हुये सभी संबंधित को जानकारी दी जाय कि किस किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पताल में दी जा रही है। दवाईयों की उपलब्धता की दैनिक जानकारी भी Public Display के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय। संबंधित संस्थानों में पदस्थापित सभी चिकित्सकों के नाम एवं उनकी विशिष्टता के साथ उनकी तस्वीर मोबाईल नम्बर सहित डाली जाय तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में ए0एन0एम0 की तस्वीर एवं मोबाईल नम्बर अंकित की जाय। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अनुमंडल स्तर तक के अस्पतालों में हेल्प डेस्क की अवधि 24X7 रहनी चाहिए।

(अनुपालन–श्री राधे श्याम साह, विशेष सचिव, श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव एवं आई. टी. मैनेजर)

5. सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपस्थिति बायो–मेट्रिक्स से करायी जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, डा0 आर0डी0 रंजन, निदेशक प्रमुख एवं आई. टी. मैनेजर)

6. ऑन लाईन पद्धति द्वारा विभागीय बेव साईट को इस तरह विकसित किया जाय की अनुमंडल स्तर तक के अस्पतालों का निगरानी मुख्यालय से ही की जा सके। साथ ही Online System के माध्यम से OPD appointment की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाय। OPD रोस्टर ड्यूटी का अनुमोदन संस्थान से एक स्तर ऊपर किया जाय यथा PHC/CHC स्तर का ACMO द्वारा तथा रेफरल/अनुमंडलीय/जिला अस्पताल का सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित किया जाय तथा इसे DHS/ विभाग के बेव साईट पर सार्वजनिक Display हेतु upload किया जाये।

(अनुपालन– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, निदेशक प्रमुख एवं आई. टी. मैनेजर)

7. सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के ओ0पी0डी0 में किस समय किस डाक्टर की ड्यूटी है तथा कौन से डाक्टर कितने रोगी को अब तक देख चुकें हैं, की जानकारी लेने की व्यवस्था की जाय। संजीवनी system में उपलब्ध आकड़ों को विशलेषित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति में PMU को यथाशीघ्र स्थापित किया जाये।

(अनुपालन– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, आई. टी. मैनेजर)

8. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में कतार प्रणाली (queueing system) संबंधी सुविधाएं यथाशीघ्र स्थापित कर रोगियों को प्रदान की जाये।

(अनुपालन– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति आई. टी. मैनेजर)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की गई।

15/4/2019

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– .... – 631 (18) .... /स्वास्थ्य विभाग, पटना, दिनांक :– 15-04-2019

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/2019
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।